L. C. BILL No. III OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MATHADI, HAMAL AND OTHER MANUAL WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE) ACT, 1969.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक ३ सन् २०२५ ।

महाराष्ट्र माथाड़ी, हमाल और अन्य शारीरिक श्रम करनेवाले कर्मकार (रोज़गार का विनियमन और कल्याण) अधिनियम, १९६९ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र माथाड़ी, हमाल और अन्य शारीरिक श्रम करनेवाले कर्मकार (रोज़गार का विनियमन और कल्याण) अधिनियम, १९६९ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ;

सन १९६९ का महा. ३०।

अतः भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

एचबी २९७३—१

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र माथाड़ी, हमाल और अन्य शारीरिक श्रम करनेवाले कर्मकार (रोज़गार का विनियमन और कल्याण) (संशोधन) अधिनियम, २०२५ कहलाए ।

सन् १९६९ का महा. ३० में " शारीरिक श्रम करनेवाले कर्मकार " के लिए " शारीरिक श्रम करनेवाले कर्मकार " शब्दों की प्रतिस्थापना।

२. महाराष्ट्र माथाड़ी, हमाल और अन्य शारीरिक श्रम करनेवाले कर्मकार (रोज़गार का विनियमन और कल्याण) अधिनियम, १९६९ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम " कहा गया है) में शुरू से अन्त तक, दीर्घ शीर्षक, उद्देशिका और संक्षिप्त नाम में सम्मिलित " शारीरिक श्रम करनेवाले कर्मकार " शब्द जहाँ कहीं वे आए हों के स्थान में " शारीरिक श्रम करनेवाले कर्मकार " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९६९ का महा. ३०।

सन् १९६९ का महा. ३० की धारा २ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा २ के,—

(१) खण्ड (२) में, " कोई श्रम " शब्दों के स्थान में, " कोई शारीरिक श्रम " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) खण्ड (३) में, " श्रम करनेवाले कर्मकार " शब्दों के पश्चात्, " कोई शारीरिक श्रम का निष्पादन करने " शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(३) खण्ड (६) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:-

" (६-क) " शारीरिक श्रम " का तात्पर्य, किसी यंत्र की मदद या सहारा या सहायता के बिना व्यक्ति द्वारा कार्यान्वित कोई शारीरिक श्रम के किसी प्रकार से है और उसमें अनुसूचित रोज़गार में शारीरिक बोझ व्यक्तिगत भरना, बोझ उतारना, वजन करना, वहन करना, और नापना शामिल है ; ";

(४) खण्ड (७) में, " कर्मकार " शब्दों के पश्चात्, " कोई शारीरिक श्रम का निष्पादन करने " शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(५) खण्ड (११) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (११) असंरक्षित कर्मकार " का तात्पर्य, अठारह वर्षों की आयु के और उससे अधिक तथा पैंसठ वर्ष की आयु तक के माथाड़ी, हमाल या अन्य शारीरिक श्रम करनेवाले कर्मकार, जो, किसी अनुसूचित रोजगार में शारीरिक श्रम करने के लिए जुड़े है या जुड़नेवाले है और उसके पश्चात् सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसे कार्य के लिए शारीरिक रूप से ठिक होने को प्रमाणित किया है ; परन्तु इसमें,–

(क) किसी संस्थापना, उद्योग या कारख़ाने की कार्यशाला या विनिर्माण प्रक्रिया क्षेत्र या संग्रहण और भंडारण क्षेत्र में, या किसी संस्थापना, उद्योग या कारख़ाने में या जहाँ प्रक्रिया यांत्रिक प्रक्रिया के ज़रिए या मशीन द्वारा या स्वचालित प्रक्रिया के ज़रिए कार्यान्वित होती है पर नियोक्ता या मूल नियोक्ता द्वारा नियुक्त कोई कर्मकार जो शारीरिक श्रम करने के लिए जुड़े है या जुड़नेवाले है, को छोड़कर कर्मकारों से है ;

(ख) किसी नियोक्ता के परिवार के सदस्य, उसमें शामिल नहीं होंगे। ;";

(६) खण्ड (१२) में, " शारीरिक श्रम करनेवाला कर्मकार " शब्दों के स्थान में, " शारीरिक श्रम करनेवाले श्रमिक " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६९ का महा. ३० की धारा ३ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ३ की उप-धारा (२) के, खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (ग) असंरक्षित कर्मकारों की भर्ती और प्रवेश विनियमित करना, और असंरक्षित कर्मकारों और नियोक्ता के रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण रद्द करने समेत असंरक्षित श्रमिकों के रजिस्टर और प्रतिक्षा सूची बनाए रखना, रजिस्टर और प्रतिक्षा सूचि से या तो अस्थायी या स्थायी रूप से नाम हटाना और रजिस्ट्रीकरण के लिए फ़ीस का अधिरोपण करना। " ।

५. मूल अधिनियम की धारा ४ की उप-धारा (१) के, खण्ड (ख) में, " कर्मकार " शब्द, दोंनों स्थानों पर जहाँ कहीं वह आते हों, के स्थान में " असंरक्षित कर्मकार " शब्द रखे जायोंगे। सन् १९६९ का महा. ३० की धारा ४ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा १३ की,— सन् १९६९ का महा. ३० की धारा १३ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) में, " कर्मकार " शब्दों के स्थान में, " असंरक्षित कर्मकार " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (३) में " कर्मकार " शब्द, जहाँ कही वें दोनों स्थानों पर आए हों, के स्थान में, " असंरक्षित कर्मकार " शब्द रखे जायेंगे ;

(३) पार्श्व टिप्पणी में " कर्मकार " शब्दों, कें स्थान में, " असंरक्षित कर्मकार " शब्द रखे जायेंगे।

७. मूल अधिनियम की धारा १४ की,— सन् १९६९ का महा. ३० की धारा १४ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सलाहाकार समिति किसी कारणवश से कार्यशिल नहीं है तब राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वन करने के लिए सलाहाकार समिति की सलाह लिए बिना या उससे विचारविमर्श किए बिना अधिसूचना जारी कर सकेगी या विनर्णय ले सकेगी ;";

(२) उप-धारा (६) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (६) (क) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्यों से अन्य सलाहाकार समिति के सदस्यों का पदावधि, **राजपत्र** में उनके नाम की अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से पाँच वर्षों की होगी। ऐसे सदस्य सरकार की इच्छा तक पद धारण करेंगे।

(ख) राज्य सरकार, राज्य सरकार का प्रतिनिधत्व करनेवाले सदस्यों से अन्य सदस्यों की रिक्ति पहले भरी जायेगी और किसी मामलो में ऐसी रिक्ति पाई जाने के दिनांक से छह महिने के अवसान के पूर्व भरी जायेगी।"।

८. मूल अधिनियम की धारा १६ के **स्पष्टीकरण में** " चौदह " शब्द के स्थान में " अठारह " शब्द रखा जायेगा। सन् १९६९ का महा. ३० की धारा १६ में संशोधन।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र माथाड़ी, हमाल और अन्य शारीरिक श्रम करनेवाले कर्मकार (रोज़गार का नियोजन और कल्याण) अधिनियम, १९६९ (सन् १९६९ का महा. ३०) महाराष्ट्र राज्य में कतिपय रोज़गारों में नियुक्त असंरक्षित शारीरिक श्रम करनेवाले कर्मकारों के रोज़गार विनियमित करने, ऐसे रोज़गार में उनकी पर्याप्त आपूर्ति और उचित तथा पूरे उपयोग, तथा उससे संबंधित मामलों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

२. उक्त अधिनियम राज्य में कई वर्षों से कार्यान्वित किया जा रहा है। उक्त अधिनियम का कार्यान्वयन करते समय, नियोक्ता संघों और व्यापार युनियनों द्वारा सामना किए जानेवाले विभिन्न मुद्दों को सरकार के ध्यान में लाया गया है। इसलिए, सरकार, असंरक्षित श्रमिकों के विनियमन और कल्याण के लिए उक्त अधिनियम के अधिन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम में कतिपय संशोधन करना आवश्यक समझती है।

३. उक्त अधिनियम की धारा २ के खंड (११) में " असंरक्षित कर्मकार " निबन्धन की परिभाषा को जो किसी अनुसूचित रोजगार में ऐसे शारीरिक कर्मचारी के रूप में लगा हुआ है या लगाया जाने वाला है और उक्त धारा २ के खंड (१२) में " कर्मकार " निबन्धन की परिभाषा को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी अनुसूचित रोजगार में शारीरिक काम करने के लिए सीधे या किसी अभिकरण के ज़रिए, चाहे मजदूरी के लिए हो या नहीं, लगा हुआ है या लगाया जानेवाला है, से है। तथापि, उक्त अधिनियम में " शारीरिक श्रम "निबन्धन को परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित रोजगार में श्रम के प्रकारों पर उक्त अधिनियम के लागू होने में अस्पष्टता आई है। इसलिए, सरकार, " शारीरिक श्रम " निबन्धन परिभाषा को परिभाषित करना तथा उसके स्थान पर " असंरक्षित कर्मकार " निबन्धन की परिभाषा को भी प्रतिस्थापित करना आवश्यक समझती है।

४. उक्त अधिनियम की धारा १४ यह उपबंध करती है कि, राज्य सरकार उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई किसी योजना के कार्यान्वयन से उद्‌भूत ऐसे मामलों पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी, जिसे राज्य सरकार सलाह के लिए उसे भेज सकेगी। सलाहकार समिति नियोंक्ताओं, श्रमिकों के प्रतिनिधि, राज्य विधानमंडल के सदस्य और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्यों से मिलकर बनेगी। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों का पदावधि सामान्यतः तीन वर्षों का होता है। सलाहकार समिति के कामकाज को सुलभ करने की दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्यों के अलावा, उक्त धारा में संशोधन करना इष्टकर समझती है, ताकि यह उपबंध किया जा सके कि, राज्य सरकार सदस्यों की रिक्तियों को यथाशीघ्र और किसी भी मामले में ऐसी रिक्ति होने के दिनांक से छह महीने की समाप्ति से पहले भरेगी।

यह देखा गया है कि, यदि सलाहकार समिति किसी कारणवश कुछ समय के लिए कार्यशिल नहीं है, तो राज्य सरकार सलाहकार समिति के परामर्श के बिना उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को कार्यान्वित नहीं कर सकती है या योजनाएं नही बना सकती है या उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसलिए, सरकार उक्त अधिनियम की धारा १४ के में संशोधन करना आवश्यक समझती है, ताकि यह उपबंध किया जा सके कि, सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है या उसके अधीन निर्णय ले सकती है, जब तक की समिति कार्यशिल न हो जाए।

इसलिये, उक्त अधिनियम की धारा १४ में यथोचित संशोधन करने का प्रस्तावित किया है।

५. उक्त अधिनियम की धारा १६ में किसी भी अनुसूचित रोज़गार में बच्चें याने जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ऐसे व्यक्ति को रोजगार देने पर रोक का उपबंध है। बाल और किशोर श्रमिक

(प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, १९८६ (सन् १९८६ का ६१) में किशोर बच्चों याने जिसने अपनी चौदह वर्ष की आयु पूरी की है परन्तु, उसकी अठ्ठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है को ऐसे व्यक्ति को जोखिमभरा रोज़गार देने पर रोक लगाता है। विभिन्न श्रमिक विधियों में बाल श्रमिकों की आयु सीमा अठारह वर्षों तक बढ़ाई गयी है। उसी तर्ज पर किसी अनुसूचित रोज़गार में अठारह वर्ष आयु के नीचे के बालकों के रोजगार को रोक लगाने की दृष्टि से, बालकों की उक्त आयु सीमा चौदह वर्षों से बढ़ाकर अठारह वर्ष करना इष्टकर समझती है।

६. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित १८ मार्च, २०२५।

आकाश फुंडकर,
श्रम मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधानभवन :
मुंबई,
दिनांकित १८ मार्च, २०२५।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय।